

12<sup>8</sup>/<sub>24</sub>

बबुलाय उप. समन पीठापीन  
अधिकारी वतन इजलासी है।  
पत्रावली दिनांक 18/7/24 को पेश हो।

नेमराज  
Rohy  
18/7/24  
मन्दीर

18<sup>9</sup>/<sub>24</sub>

पत्रावली पेश हुई। बबुलाय फिलियेन उप. 1  
वकील बादी के परिवारी सं. 1, 2 व 9<sup>अ</sup> को  
सिफ्टर जज से कोले समन का तामीली स्ट्रेल  
पेश किया। इन परिवारीगण को कोलेल तर्जिह  
से जारी लगान की तामील बुनिन्दा की रिपोर्ट  
के साथ प्राप्त हुए। प्रस्तुत तामीली स्ट्रेल के  
अनुसार परिवारी सं. 9(अ) का समन अदम तामील  
रफा शेख के तामीलशुदा प्राप्त हुए। एनी के लक्ष  
पूर्व में परिवारीगण को जारी नियत पेशी  
28.05.24 के समन की प्राप्त होकर तामील  
पत्रावली हो चुके हैं। परिवारी सं. 4, 7, 32,  
44, 55, 68, की कोट से वकील श्री जानन्दापाल  
किंहे के बकालागनामा पेश किया है शक्ति पत्रावली  
हो प्रस्तुत तामीली रिपोर्टों के अनुसार परिवारी  
सं. 1, 3, 59, 50, 46, 40, 38, 32, 29, 9<sup>अ</sup> के  
समन तामीलशुदा रफा परिवारी सं. 2, 36, 22,  
18, 16 के समन अदम तामील प्राप्त हैं।  
परिवारी फर के कछिबत्ता की मूलजिंह मादव हाथ  
कवगत कराय कि उक्त वाद में वरित कृमि  
एवं पक्षकार पूर्व में लक्ष्मी पवनी की कोट  
से प्रस्तुत वाद लक्षनवान पवनी बनाम कणाली  
एडर शाजान्व वाद सं. 2022/13 अंतर्गत धर्या S3  
आरहीर में वरित पक्षकार समान हैं। ऐसी स्थिति  
में पुकरण के अध्यापूर्ण निर्णय तथा वाद का डुल्यता  
न बढे इल हेतु CPC के सेडिजे अनुसार एत  
वाद की कार्यवाही का लिखित कले हुए पूर्ववर्ती  
वाद के साथ कन्सोल्डेटेड किये जाने का निवेदन  
किया। उपलिखत वादी कछिबत्ता द्वारा भी इफा



सुमि  
जोडारम  
56 अक्षरी



अमि  
शरारत  
30 अक्षरी

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

खण्ड न जरी किया गया। जिससे प्रशासनी व उपखण्ड रेकर्ड के अक्षयन के पश्चात इल बाद की कार्यवाही को स्थगित रखते हुये पूर्ववर्ती बाद श. बाद से. 2022/13 पवनी खनाम अगली के साथ कम्युनिकिडेट करे हुये कार्यवाही को निम्नारित किया जाना है। प्रशासनी फ़सल शुमार होकर पूर्ववर्ती शपत्तक बाद के साथ जेश हो।



3  
सहायक कर्षक एवं पदेन  
उपखण्ड अधिकारी, बाली